न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक
(पीठासीन अधिकारीः सी0एल0शर्मा, आर.ए.एस.)

वाद(प्रार्थनापत्र) संख्या – 59/2018
प्रविष्टि दिनांक – 23.5.2018

उनवान

जयसियाराम पुत्र रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सण्डीला तहसील टोंक

—आवेदक

बनाम

तहसीलदार टोंक

विपक्षी

उपस्थित—श्री शिवराज टाण्डी—वकील आवेदक

निर्णय
आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

दिनांक : 21/8/2018

आवेदन पत्र में अंकित तथ्य संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार ख.न. 143 रकबा 8 बिस्वा, ख.न. 156 रकबा 10 बिस्वा, ख.न. 214 रकबा 17 बिस्वा, ख.न. 217 रकबा 13 बिस्वा, ख.न. 227 रकबा 3 बिस्वा, ख.न. 627 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, ख.न. 636 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, ख.न. 647 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, कुल किता—8, कुल रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा ग्राम सण्डीला तहसील टोंक मे स्थित है उक्त आराजी का अंकन ग्राम सण्डीला की जमाबंदी संवत 2070—73 मे हो रखा है। उक्त आराजी का आवेदक खातेदार काश्तकार हैं। ख.न. 17, रकबा 6 बीघा 13, ख.न. 33 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा, ख.न. 16 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, ख.न. 20 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, ख.न. 21 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, ख.न. रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, ख.न. 23 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, ख.न. 24 रकबा 6 बीघा, ख.न. 25 रकबा 6 बीघा, ख.न. 26 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, ख.न. 28 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, ख.न. 29 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, ख.न. 30 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, ख.न. 31 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, ख.न. 32 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा कुल किता—13 कुल रकबा 87 रकबा 7 बिस्वा तथा ख.न. 19 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, ख.न. 18 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम बीडहसनपुरा , मेहन्दवास तहसील टोंक मे स्थित है। उक्त आराजी का अंकन ग्राम बीडहसनपुरा की जमाबंदी संवत 2069—72 मे हो रखा है। उक्त आराजी मे आवेदक का हक व हिस्सा है। राजस्व रिकार्ड मे आवेदक का नाम सियाराम अंकित कर रखा है जबकि आवेदक का सही नाम जयसियाराम है। आवेदक के राशनकार्ड, आधारकार्ड , मतदाता पहचान पत्र जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि सभी मे आवेदक का सही नाम जयसियाराम अंकित है। अतः राजस्व रिकार्ड मे अंकित गलत नाम सियाराम के स्थान पर सही नाम जयसियाराम अंकित करवाया जाकर दुरूस्ती की जावे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर, तहसीलदार टोंक से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार टोंक से प्राप्त रिपोर्ट ग्राम सण्डीला का नामा0 सं0 692 दिनांक 24.4.2010 एवं ग्राम बीडहसनपुरा के नामा0 115 दिनांक 20.9.2012 का विरासत का नामा0 दर्ज करते समय सियाराम पि0 रामलाल दर्ज हुआ। आवेदक का सियाराम बोलता नाम है। आवेदक के सभी दस्तावेजो मे जयसियाराम अंकित है। अतः दस्तावेजो के अनुसार सियाराम के स्थान पर जयसियाराम दर्ज किया जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे अधिवक्ता आवेदक ने जमाबंदी संवत 2069—72, ग्राम बीडहसनपुरा, संवत 2070—73 ग्राम सण्डीला, जाति प्रमाण पत्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण

Scanned by CamScanner

संस्थान प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, परिवार राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता आवेदक की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने वाद पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक आवेदक की बहस पर मनन किया। जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम सण्डीला, जमाबंदी संवत 2069–72 ग्राम बीडहसनपुरा मे आवेदक का नाम **'सियाराम'** अंकित है जिसका आवेक रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। पत्रावली पर उपलब्ध आधारकार्ड, अंकतालिका परिवार राशनकार्ड मे आवेदक का नाम **"जयसियाराम"** अंकित हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थी का नाम सियाराम बोलता नाम है, सही नाम **जयसियाराम** है। उक्त विवेचन के अनुसार स्पष्ट होता है कि **"जय सियाराम"** के स्थान पर **सियाराम** लिखा जाना लिपिकिय त्रुटि प्रतीत होती है जो दुरूस्त कराने के प्रार्थी अधिकारी है। अतः दस्तावेजो के आलोक मे प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम सण्डीला की जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता सं0 166 , ग्राम बीडसहनपुरा की जमाबदी संवत 2069–72 के खाता सं0 16, 17, 18, 19, 20, 21, मे अंकित नाम **"सियाराम पुत्र रामलाल"** के स्थान पर **"जय सियाराम पुत्र रामलाल"** शुद्ध कर, तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2018 लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सी0एल0शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner